भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 495
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

नवचेतना कार्यक्रम के उद्देश्य

495. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवचेतना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस्कॉन के साथ क्या समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है;
(ख) तेलंगाना में नवचेतना के पहले चरण के अंतर्गत शामिल किए गए स्कूलों और जिलों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त कार्यक्रम और एमओयू किस प्रकार सामुदायिक आउटरीच, परामर्श और नशीली दवाओं के आदी लोगों के पुनर्वास में योगदान देंगे?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं तथा छात्रों आदि के मध्य नशामुक्त भारत अभियान के संदेश को फैलाने के लिए 23 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. समुदाय में ऑन-ग्राउंड क्रियाकलापों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता का सृजन करना।
ii. उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों तथा विद्यालयों को नशीले पदार्थों से मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना।
iii. समुदाय तक पहुंच बनाना तथा नशीले पदार्थों पर आश्रित जनसंख्या की पहचान करना।
iv. परामर्श और पुनर्वास के कार्यों को बढ़ावा देना।
v. युवाओं एवं किशोरों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना।

''नशा मुक्त भारत अभियान'' के अंतर्गत, विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा छात्रों के मध्य जीवन कौशल और ड्रग्स के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से नवचेतना प्रशिक्षण पैकेज का प्रचार-प्रसार तथा कार्यान्वयन किया जा रहा है। नवचेतना मॉड्यूल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. विद्यालयी छात्रों में नशीले पदार्थ के दुरूपयोग की शुरूआत को रोकने तथा कम उम्र में इसके दुरूपयोग को रोकना।
ii. बच्चों को ड्रग के दुरूपयोग के संबंध में आगे की जांच, परामर्श सहायता तथा उपचार के लिए लिंकेज सहायता उपलब्ध कराना।
iii. बच्चों के मध्य ड्रग के दुरूपयोग के शुरूआती संकेतों के संबंध में परिवार/शिक्षकों की सहायता करना तथा उपलब्ध सहायता पर जानकारी देना।

(ख): एससीईआरटी से प्राप्त सूचना के अनुसार मास्टर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए चिन्हित किए गए जिलों तथा विद्यालयों के नाम **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग): नवचेतना शिक्षकों द्वारा संचालित मॉड्यूल है जिसमें शिक्षकों को राज्य, जिला और विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मॉड्यूल में मास्टर प्रशिक्षकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण दो प्रकार के प्रशिक्षण हैं। जिला मजिस्ट्रेट प्रति जिले 5 मास्टर प्रशिक्षकों का चयन करता है। तत्पश्चात प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा किराए पर लिए गए स्रोत व्यक्तियों द्वारा प्रथम स्तर यथा मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा ये मास्टर प्रशिक्षक जिला सतर पर शिक्षकों को द्वितीय स्तर के लिए प्रशिक्षित करेंगे अर्थात शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना जो आगे चिन्हित किए गए स्कूलों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। छात्रों के लिए तथा प्रत्येक सेक्शन नवचेतना मॉड्यूल पर प्रत्येक कक्षा में दो सत्र होंगे।

एससीईआरटी द्वारा चयनित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या = 100

चयनित किए जाने वाले विद्यालयों की नफरी = 30+छात्र

युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के मध्य नशा मुक्त भारत अभियान के संदेश के प्रचार के लिए 23 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं:

1. आध्यात्मिक/धार्मिक नेताओं के श्रेष्ठ नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वोपरि भूमिका निभाना।
2. अनुयायियों से अपील करना कि वे "से नो टू ड्रग्स" के संदेश को देश के हर नुक्कड़ और कोने तक ले जाएं।
3. विद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं को इस अभियान को शुरू करने की आवश्यकता के बारे में संदेश देना।

4. प्रवचन में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग से बचने के लिए संदेशों को शामिल करना।
5. परियोजना कार्यान्वयन क्षेत्रों में रैलियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. धार्मिक/आध्यात्मिक संगठनों द्वारा संचालित शैक्षिक/स्वास्थ्य देखभाल/कल्याण और अन्य संस्थानों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
7. नशा मुक्त समुदाय के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में विभिन्न हितधारकों को शामिल करना।
8. धार्मिक/आध्यात्मिक संगठनों के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और अन्य आंदोलनों को एनएमबीए के अंतर्गत कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित करना।
9. जागरूकता कार्यक्रमों के प्रचार के लिए संस्थानों के मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
10. संगठन के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों के माध्यम से योग, ध्यान आदि सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के संबंध में कार्यक्रम आयोजित कराना।
11. स्मारिका दुकानों/स्टोरों आदि के माध्यम से आईईसी और एनएमबीए मुद्रित सामग्री प्रसारित करना।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 495 के पैरा (ii) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं	जिले का नाम	विद्यालयों का विवरण
1	आदिलाबाद	सरकारी एचएस ताटीगुडा, आदिलाबाद
		टीएसएमएस बंगारिगुडा, आदिलाबाद
		जेडपीएचएस कप्पारला, आदिलाबाद
		जेडपीएचएस कुचलापुर, आदिलाबाद
		जेडपीएचएस रामनगर, आदिलाबाद
2	हैदराबाद	जीएचएस(टी) गोलकुंडा
		जीएचएस सैदाबाद
		जीएचएस कलासीगुडा, सिकंदराबाद
		जीजीएचएस नल्लागुट्टा (ओल्ड), सिकंदराबाद
		जीएचएस बंजारा हिल्स, खैरताबाद क्षेत्र
3	खम्मम	जेडपीएचएस कुम्मीनेपल्ली
		जेडपीएचएस मामुनुरु
		जेडपीएचएस बी. गंगाराम
		जेडपीएचएस मंगला ठंडा
		जेडपीएचएस पेरुवांचा
4	महबूबनगर	जेडपीएचएस बहारपेट कोस्गी
		जेडपीएचएस मुनिओक्षम
		जेडपीएचएस येदिरा
		जीजीएचएस कोनापालमुर
		जेडपीएचएस शकापुर अडकल
5	रंगा रेड्डी	जेडपीएचएस दरगा, सेरलिंगमपल्ली
		जेडपीएचएस कोठापेट, केशमपेट
		जेडपीएचएस बॉयज़ मनचल
		जेडपीएचएस पोथुगल, शबाद (एम)
		जेडपीएचएस अट्टापुर, राजेंद्रनगर (एम)
6	मेडचल मल्काजगिरी	जेडपीएचएस जेदीमेटला, कुथबुल्लापुर
		जेडपीएचएस मचबोल्लाराम, अलवाल मंडल
		जेडपीएचएस कुशाईगुडा, का रा मांडा
		जेडपीएचएस नेहरू नगर कुथबुल्लापुर
		जेडपीएचएस अलवाल मल्काजगिरि मंडल
7	नलगोंडा	जेडपीएचएस कनागल, कनागल मंडल
		जेडपीएचएस मदुगुलापल्ली, मदुगुलापल्ली मंडल
		जेडपीएचएस थीडेडु, चिंतापल्ली, मंडल
		जेडपीएचएस पेरका कोंडारम, शालिगौराराम
		टीएसएमएस मारिगुडा मंडल

*****